...ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...र्थना–पत्र संख्या :–187 / 2023 दायर दिनांक–14.07.2023

GCMS NO:- 2023/297 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

इब्राहीम आ0 सुल्तान जाति मुसलमान पिंजारा नि0 गुढादेवजी तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

1. बाबू पुत्र कप्तान जाति मुसलमान नि. गुढादेवजी तहसील नैनवॉ।
2. मुमताज पुत्र कुतुबुद्दीन जाति मुसलमान नि. गुढादेवजी तहसील नैनवॉ।
3. फुलाबाई पुत्री कल्याण ज़ाति रैगर नि0 गुढादेवजी हाल पत्नी मोहनलाल जाति रैगर नि0 आंतरदा तहसील नैनवॉ।
4. कन्या बाई पुत्री कल्याण जाति रैगर नि0 गुढादेवजी हाल पत्नी बाबूलाल जाति रैगर नि0 देई तहसील नैनवॉ।
5. रमेशीबाई पुत्री कल्याण जाति रैगर नि0 गुढादेवजी हाल पत्नी रमेश जाति रैगर नि0 दरा का नयागांव तहसील हिण्डोली।
6. धापू पुत्री कल्याण जाति रैगर नि0 गुढादेवजी हाल पत्नी विमल जाति रैगर नि0 बांसी तहसील नैनवॉ।
7. कसकन्दा पुत्री कल्याण जाति रैगर नि0 गुढादेवजी हाल पत्नी महावीर जाति रैगर नि0 बून्दी।
8. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट</u>

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम नागर।

अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री जयसिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गुढादेवजी मे खाता संख्या पुराना 10 नया 11 के अनुसार खसरा नम्बर 358 रकबा 1.6423 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है।

यह कि प्रार्थनाा पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी मेड को तोडकर अवैध व अनाधिकृत रूप से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 कब्जा करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी ने अपने खाते की भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ के आदेशानुसार करवाया जिससे प्रार्थी को अपने खाते की भूमि की सीमा की संपूर्ण जानकारी है तथा मौके पर पटवारी हल्का गुढादेवजी द्वारा सीमा चिन्हित की गयी है। लेकिन अप्रार्थीगण ताकत के बल पर प्रार्थी के खाते की भूमि की सीमा को मिटाकर मेड तोडकर भूमि के अन्दर प्रवेश करते चले आ रहे है तथा प्रार्थी के खाते की सीमा को मिटाकर भूमि मे प्रवेश करने का किसी प्रकार का अप्रार्थीगण को हक अधिकार प्राप्त नही है।

यह कि दिनांक 25.6.2023 को अप्रार्थीगण हाथों मे लकडियां कुल्हाडी व ट्रेक्टर लेकर खेत पर आ गए और आते ही प्रार्थी के खाते की भूमि की सीमा को नष्ट भ्रष्ट करने लग गए तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण का विरोध किया। इतने मे ही अप्रार्थीगण कहने लगे कि हम तुम्हारे खाते की भूमि मे घुस कर कब्जा करके रहेंगे, हमारा कोई कुछ नही बिगाड सकता। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी व पूर्व मे हुए सीमाज्ञान की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 2 वर्ष का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 अधिवक्ता व अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 6 अधिवक्ता द्वारा आदिनांक तक जवाब पेश नही किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार नैनवॉ द्वारा भी आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। साथ ही पत्रावली मे पूर्व मे हुए सीमाज्ञान की प्रति संलग्न पायी गयी है अतः जवाब व रिपोर्ट्स का अवसर बंद किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम गुढादेवजी मे खाता संख्या पुराना 10 नया 11 के अनुसार खसरा नम्बर 358 रकबा 1.6423 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा